

FORM - I
(for linear projects)
Government of Jharkhand
Office Of District Collector
Gumla

No.....

Dated.....

TO WHOM SOEVER IT MAY
CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-PC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.531492 hec, 0.257962 hec, 0.5530958 hec, 0.507665 hec, 0.285508 hec, 0.451634 hec, 0.3365527 hec, 0.348105 hec of forest land proposed to be diverted in favour of Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited for construction of 132 kv Kalebira to Kamdara in Gumla district falls within jurisdiction of Murga (0.531492 hec), Loyenga (0.257962 hec), Kindirkela (0.5530958 hec), Arya (0.507665 hec), Kalinga (0.285508 hec), Konbir (0.451634 hec), Basia (0.3365527 hec), Suturbula (0.348105 hec) in Kamdara & Basia tehsils.

क्र	अंचल का नाम	ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा हेक्टेयर में	जमीन का किस्म
1	कामडारा	मुर्गा / 54	60	295 / 298	0.531492	जंगल झाड़ी
		लोएंगा / 55	107	937	0.257962	जंगल झाड़ी
2	बसिया	किन्दिरकेला / 136	113 127	1233 / 1153 / 1289 / 1119	0.5530958	जंगल झाड़ी
		आरया / 133	230	57	0.507665	जंगल झाड़ी
		कलिगा / 141	159	2120 / 1794	0.285508	जंगल झाड़ी
		कोनबीर / 129	157	1743 / 1797	0.451634	मझोला जंगल
		बसिया / 50	249	327	0.299716	जंगल झाड़ी
				1851	0.0368367	जंगल साखु
		सुतुरबुला / 51	22	143	0.348105	जंगल साखु
कुल रकबा					3.2720145	

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.2720145 hec. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure 3.

32

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls : As Above.

30/12/24
District Welfare Officer,
Gumla

30/12/24

30/12/24
Deputy Commissioner
Gumla

- ज्ञापांक 4867 आई0टी0डी0ए0, गुमला दिनांक 31/12/2024
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल, गुमला एवं अन्य संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, कामडारा/बसिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

30/12/24
जिला कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

दिनांक - 06.12.2024 को उपायुक्त, गुमला की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्य निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत सम्पन्न जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार :-

कार्यवाही :-

जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के द्वारा सर्व प्रथम उपस्थिति पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें जानकारी दी गयी कि वनाधिकार अधिनियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर के पत्रांक - 1305, दिनांक - 19.09.2024 के द्वारा अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकारी समिति चैनपुर से पारित 02 (दो) 132 के0भी0 संचरण लाईन एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया के पत्रांक -992(ii), दिनांक - 10.10.2024 के द्वारा अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकारी समिति बसिया से पारित 01 (एक) 132 द्विपथ कोलिबिरा कामडारा संचरण लाईन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक हेतु उपलब्ध करायी गयी जो निम्नवत है :-

प्रस्ताव - II

132 के0भी0 चैनपुर से महुआंडाड लिलो at चैनपुर संचरण लाईन का भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र	अंचल का नाम	ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा हेक्टेयर में	जमीन का किस्म
1	डुमरी	हुटाप/25	100	13	0.115	मंझोला जंगल
		चंदावल/24	33	19,34	0.1183	जंगल झाड़ी
		अकासी/32	262	496,497	1.1179	जंगल झाड़ी
		कुटलू/23	118,40	1091,984,1032	0.367	जंगल झाड़ी
		नौहट्टा/21	72	508	0.0184	जंगल झाड़ी
			कुल रकबा		1.7366	

132 के०भी० गुमला-सिमडेगा लिलो at चैनपुर संघरण लाईन का भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र	अंचल का नाम	ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा हेक्टेयर में	जमीन का किस्म
1	चैनपुर	हर्रा / 157	164	1107	0.1573	मझोला जंगल
		बरये नगर / 93	236	2372 / 2383 / 2493 / 50	0.929373	जंगल झाड़ी
		कातिंग / 162	155	2800 / 10	0.0784	जंगल झाड़ी
		कुल रकबा			1.165073	

132 द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संघरण लाईन का भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :-

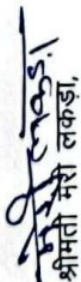
क्र	अंचल का नाम	ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा हेक्टेयर में	जमीन का किस्म
1	कामडारा	मुर्गा / 54	60	295 / 298	0.531492	जंगल झाड़ी
		लोरंगा / 55	107	937	0.257962	जंगल झाड़ी
2	बसिया	किन्दिरकेला / 136	113 127	1233 / 1153 / 1289 / 1119	0.5530958	जंगल झाड़ी
		आरया / 133	230	57	0.507665	जंगल झाड़ी
		कलिगा / 141	159	2120 / 1794	0.285508	जंगल झाड़ी
		कोनबीर / 129	157	1743 / 1797	0.451634	मझोला जंगल

3

बसिया / 50	249	327	0.299716	जंगल झाड़ी
सुतुरबुला / 51	22	1851	0.0368367	जंगल साखु
कुल रकबा		143	0.348105	जंगल साखु
			3.2720145	

अनुमण्डल वनाधिकार समिति से पारित अनापत्ति की अनुशंसा को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

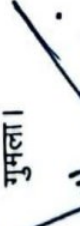

श्रीमती नरी लकड़ा,
जिला परिषद् सदस्य, चैनपुर।

श्रीमती बसंती खड़िया,
जिला परिषद् सदस्य, बसिया।

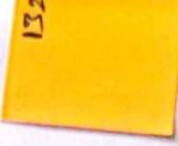
श्री पवन उराँव,
जिला परिषद् सदस्य, विशुनपुर


जिला कल्याण पदाधिकारी,
गुमला।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, गुमला।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गुमला।


उपायुक्त,
गुमला।



कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

पत्रांक:- 992(11)

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
(गुमला)।

दिनांक:- 10/10/2024

विषय:- वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत झारखण्ड राज्य उर्जा संचरण निगम लिमिटेड 132 द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन हेतु प्राप्त दावा पत्र वापस करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 4341/आई0टी0डी0ए0 गुमला दिनांक 07/10/2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत झारखण्ड राज्य उर्जा संचरण निगम लिमिटेड 132 द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन हेतु प्राप्त दावा पत्रों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लगाई गई त्रुटि का निरकारण कर पुनः दावा पत्र स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

संलग्न:- भूमि विवरणी एवं Land Schedule.

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)।

भूमि विवरणी ।

अंचल	मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर)		भूमि किस्म	अभ्युक्ति ।
					Area Hect. (PF)	Area Hect. (JJ)		
कामडारा	मुर्गा	54	60	295	00	0.246196	जंगल झाड़ी	
			60	298	00	0.285296	जंगल झाड़ी	
	लोएंगा	55	107	937	00	0.257962	जंगल झाड़ी	
			कुल रकबा (हेक्टेयर)		00	0.789454		

भूमि विवरणी ।

अंचल	मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (हेक्टेयर)		भूमि किस्म	अभ्युक्ति ।
					Area Hect. (PF)	Area Hect. (JJ)		
बसिया	किन्दिरकेला	136	113	1233		0.186544	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	127	1153		0.0823315	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	127	1289		0.192843	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	127	1119		0.0913773	जंगल झाड़ी	
	आरया	133	230	57		0.507665	जंगल झाड़ी	
	कलिगा	141	159	2120		0.167991	जंगल झाड़ी	
	कलिगा	141	159	1794		0.117517	जंगल झाड़ी	
	कोनबीर	129	157	1743	0.154596		मझोला जंगल	
	कोनबीर	129	157	1797	0.297038		मझोला जंगल	
	बसिया	50	249	327		0.299716	जंगल झाड़ी	
	बसिया	50	249	1851	0.0368367		जंगल साखु	
	सुतुरबुला	51	22	143	0.348105		जंगल साखु	
			कुल रकबा (हेक्टेयर)		0.8365757	1.6459848		

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला) ।

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया।

sdmbasia@gmail.com

पत्रांक. 762 (iv)

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बसिया (गुमला)

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0 गुमला।

दिनांक 24/6/23

विषय :-

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सामुदायिक दावा पत्र हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक 944 / आई0टी0डी0ए0 गुमला दिनांक 18.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसगांधीन पत्र के संबंध में कहना है कि ग्राम- बरटोली का सामुदायिक दावा पत्र खाता सं0 40 एवं 76 प्लॉट सं0 क्रमशः 244 एवं 245 कुल रकबा क्रमशः 35.40 ए0 एवं 36.80ए0 का संशोधित प्रतिवेदन त्रुटि निराकरण करते हुए पुनः भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बसिया (गुमला)
24/6/23

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया।

sdmbsasia@gmail.com

दिनांक 23.06.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष वनाधिकार समिति अध्यक्षता में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति एवं कार्यवाही :- बैठक पंजी के अनुसार समिति के सदस्य उपस्थित हुए एवं बैठक में निम्न बिन्दुओं पर ग्राम वनाधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
2. प्रस्ताव 1-परियोजना निदेशक आई0टी0डी0ए0 गुमला का पत्रांक 995 दिनांक 26.04.2023 द्वारा ग्राम-जोलो के सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्र में या आपति लगाई गई है कि दावित प्लॉट सं0 1318 खाता संख्या 118 कुल रकबा 11.45 ए0 पर सिर्फ जोलो गाँव के ग्रामीणों का अधिकार है अथवा नहीं इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है साथ ही दावित खाता, प्लॉट में अवस्थित वन भूमि पर किसी अन्य गाँव सिधे प्रभावित होते हैं या नहीं।

उक्त आलोक में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, बसिया, वनपाल बसिया से जांच कराया गया एवं जोलो गाँव के अध्यक्ष/सचिव वनाधिकार समिति के बीच की गई आपति पर ग्राम सभा कराया गया। उक्त प्लॉट राजस्व ग्राम जोलो के अन्तर्गत आता है जहां जोलो ग्राम के अतिरिक्त ग्राम- लुंगटू, बनतरिया एवं बोंगालोया के लोग पत्ता कन्द-मूल, जड़ी-बुटी इत्यादि का उपयोग पूर्व से करते आ रहे हैं जिसको लेकर ग्रामीणों को कोई आपति नहीं है। इस प्रकार आपति निराकरण करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव 2 - परियोजना निदेशक आई0टी0डी0ए0 गुमला का पत्रांक 995 दिनांक 26.04.2023 द्वारा ग्राम-जोलो के सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्र में या आपति लगाई गई है कि दावित प्लॉट सं0 101 खाता संख्या 118 कुल रकबा 11.49 ए0 पर सिर्फ जोलो गाँव के ग्रामीणों का अधिकार है अथवा नहीं इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है साथ ही दावित खाता, प्लॉट में अवस्थित वन भूमि पर किसी अन्य गाँव सिधे प्रभावित होते हैं या नहीं।

उक्त आलोक में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, बसिया, वनपाल बसिया से जांच कराया गया एवं जोलो गाँव के अध्यक्ष/सचिव वनाधिकार समिति के बीच की गई आपति पर ग्राम सभा कराया गया। उक्त प्लॉट राजस्व ग्राम जोलो के अन्तर्गत आता है जहां जोलो ग्राम के अतिरिक्त ग्राम- लुंगटू, बनतरिया एवं बोंगालोया के लोग पत्ता कन्द-मूल, जड़ी-बुटी इत्यादि का उपयोग पूर्व से करते आ रहे हैं जिसको लेकर ग्रामीणों को कोई आपति नहीं है। इस प्रकार आपति निराकरण करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

3. **प्रस्ताव 3** :- जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला आई0टी0डी0ए0 गुमला का पत्रांक 944/आई0टी0डी0ए0 गुमला दिनांक 18.04.2023 के द्वारा ग्राम- बरटोली के सामुदायिक दावा पत्र पर आपति की गई है। कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया के प्रतिवेदित प्रस्ताव में विभिन्नता पाई गई।

उक्त आलोक में अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक बसिया, वनपाल बसिया से जांच कराया गया एवं बरटोली गाँव के अध्यक्ष/सचिव वनाधिकार समिति के द्वारा ग्राम सभा कराया गया। जिसमें स्पष्ट किया गया कि दावित प्लॉट पर ही कब्रिस्तान विद्यमान है। ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा प्राप्त सामुदायिक दावा वन पट्टा के अन्य प्रस्तावों के साथ कब्रिस्तान हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं आपति का निराकरण किया गया।

प्रस्ताव 4 उर्जा संचरण :- अंचल अधिकारी, कामडारा के पत्रांक 323/रा0 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा प्राप्त एवं ग्राम वनाधिकार समिति मुर्गा एवं लोयंगा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव "132 KV द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकार समिति

के कार्यवाही व अनापति प्रमाण पत्र" को अनुमोदित किया गया एवं अनुशंसा सहित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। (विस्तृत विवरणी द्रष्टव्य)

अंचल	मौजा	थाना सं०	प्लॉट सं०	खाता सं०	रकबा (हे०)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect.(PF)	Area Hect.(JJ)		
कामडारा	मुर्गा	54	295	60		0.246196	जंगल झाड़ी	
			298	60		0.285296	जंगल झाड़ी	
	लोएंगा	55	937	107		0.257962	जंगल झाड़ी	
	कुल रकबा (हेक्टेयर)				0.00	0.789454		

4. प्रस्ताव 4 उर्जा संचरण :- अंचल अधिकारी, बसिया के पत्रांक 284 दिनांक 10.06.2023 के द्वारा प्राप्त एवं ग्राम वनाधिकार समिति किन्दिरकेला, आरेया, केलगा, कोनबीर, बसिया एवं सुतुरबुला के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव "132 KV द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकार समिति के कार्यवाही व अनापति प्रमाण पत्र" को अनुमोदित किया गया एवं अनुशंसा सहित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। (विस्तृत विवरणी द्रष्टव्य)

अंचल	मौजा	थाना सं०	प्लॉट सं०	खाता सं०	रकबा (हे०)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect.(PF)	Area Hect.(JJ)		
बसिया	किन्दिरकेला	136	1233	113		0.186544	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	1153	127		0.0823315	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	1289	127		0.192843	जंगल झाड़ी	
	किन्दिरकेला	136	1119	127		0.0913773	जंगल झाड़ी	
	अरेया	133	57	230		0.507665	जंगल झाड़ी	
	केलगा	141	2120	159		0.167991	जंगल झाड़ी	
	केलगा	141	1794	159		0.117517	जंगल झाड़ी	
	कोनबीर	129	1743	157	0.154596		मझौला जंगल	
	कोनबीर	129	1797	157	0.297038		मझौला जंगल	
	बसिया	50	327	249		0.299716	जंगल झाड़ी	
	बसिया	50	18551	249	0.0368367		जंगल सखुआ	
	सुतुरबुला	51	143	22	0.348105		जंगल सखुआ	
	कुल रकबा (हेक्टेयर)				0.8365757	1.6459848		

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ज्ञापांक 759 (11) दिनांक 24.6.2023

प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक ITDA, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गुमला को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
बसिया (गुमला)
24/6/23

अनुमंडल पदाधिकारी,
बसिया (गुमला)
24/6/23

कार्यालय अंचल अधिकारी, कामडारा

Email-kamdaraco@gmail.com

पत्रांक - 04...../रा0

प्रेषक:-

अंचल अधिकारी,
कामडारा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बसिया।

कामडारा,

दिनांक - 02/01/2024

विषय:- वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत झारखण्ड राज्य उर्जा संचालन निगम लिमिटेड 132 द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन हेतु प्राप्त दावा पत्र में आपत्ति निराकरण के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक- 1062(ii) दिनांक- 09.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में मौजा- मुरगा के प्रारूप 'ख' के खाता संख्या में दर्ज भिन्नता का आवश्यक त्रुटिनिराकरण कर मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
कामडारा

सेवा में

संचाल सचिवदारी
कागडार

विषय :- वनविधवा अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कागडार राज उर्जा संचालन निगम लिमिटेड 132 किएम वोल्टेजिय कागडार संचालन लाइन के डाका पर के अ प्रपत्र 'छ' में त्रुटि निराकरण प्रतिक्रिया के संबंध में।

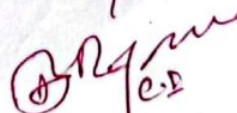
प्रसंग :- कागडार संचालन निगम सचिवदारी का फॉर्म 1062(01) दिनांक 09.10.2022

कागडार,
उपस्थित विषय के संबंध में सादर सूचित किया है कि कागडार संचालन निगम कागडार संचालन निगम के वनविधवा डाका पर के प्रपत्र 'छ' में त्रुटि निराकरण संबंधी जॉन प्रतिक्रिया निम्न है:-

मौजा	आवासीय	कागडार	जाल	रकबा
गुरगा	54	60	298	23.60 ज.अ.
			295	एक
				3.16 पा.अ.

किता - जंगल काटी व रमजुशका मालीदु डूब
6)

कतः जॉन प्रतिक्रिया सादर समर्पित ।


03/11/23

02.11.2023
RSL

209
03/11/23

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बसिया ।

VIII.07/23

पत्रांक 284
दिनांक 10.6.23

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
बसिया ।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बसिया ।

विषय:-

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0भी0 द्विपथ कोलेबिरा - कामडरा संचरण लाईन के कम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकार समिति के कार्यवाही व अनापति प्रमाण पत्र के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:-

अपर समाहर्ता, गुमला के पत्रांक- 1440/रा0, दिनांक- 24.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर कहना है कि झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0भी0 द्विपथ कोलेबिरा - कामडरा संचरण लाईन के कम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकार समिति के कार्यवाही व अनापति प्राप्त किया गया है ग्राम वनाधिकार समिति के द्वारा 132 के0भी0 द्विपथ कोलेबिरा - कामडरा संचरण लाईन हेतु ग्राम सभा के द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र दिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु बैठक की कार्यवाही पंजी का छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी,
बसिया ।

684
14/6/23

12.6.23

नं. बिल	मौजा	थाना संख्या	प्लॉट संख्या	खाता संख्या	रकबा (हे०)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect.(PF)	Area Hect.(JJ)		
बसीया	किन्दीरकेला	136	1233	113		0.186544	जंगल झाड़ी	
	किन्दीरकेला	136	1153	127		0.0823315	जंगल झाड़ी	
	किन्दीरकेला	136	1289	127		0.192843	जंगल झाड़ी	
	किन्दीरकेला	136	1119	127		0.0913773	जंगल झाड़ी	
	अरेया	133	57	230		0.507665	जंगल झाड़ी	
	केलगा	141	2120	159		0.167991	जंगल झाड़ी	
	केलगा	141	1794	159		0.117517	जंगल झाड़ी	
	कोनबीर	129	1743	157	0.154596		मझौला जंगल	
	कोनबीर	129	1797	157	0.297038		मझौला जंगल	
	बसीया	50	327	249		0.299716	जंगल झाड़ी	
	बसीया	50	1851	249	0.0368367		जंगल सखुआ	
	सुतुरबुला	51	143	22	0.348105		जंगल सखुआ	
	कुल रकबा (हेक्टेयर)				0.8365757	1.6459848		

18/6/23
ब.क.
अधिकारी

अंचल अधिकारी
बसिया

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, प्ररूप ख
132 फं० की० कोलबेरा - कामडारा
संस्कृत लारिन निभाणि ईद

2. ग्राम :

कोलबेरा

3. पंचायत :

कोलबेरा

4. प्रखण्ड/अंचल :

बसीपा

5. जिला :

गुमला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : 132 फं० की० कोलबेरा - कामडारा
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक पुमि की वीरणी निगम
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ,
यदि कोई हो: प्लॉट नं० खाला नं० रकबा (है०)
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें) 1443 157 0.154596
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें) 1797 157 0.247038
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो:
7. समर्थन में साक्ष्य:
8. अन्य कोई सूचना: इलाहाबाद संकलन वि० लि० द्वारा 132 के वी० निदेश
कोलेबेरा, कामगार संकलन करने के समय में ग्राम कोनबोर के
अन्तर्गत पड़ने वाले वन क्षेत्र से वन जंगल हानि में लाईने बिदारी
न की आपत्ति नहीं है ग्राम के कमाधिकार समिति संवैधीत संस्था
के वनाधिकार अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राव से सुखी जाती है,

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

निबो लसपुरी

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
कोनबोर नयाटोली

आज दिनांक 21/2/22 आज कोलवीर में भया लकड़ारी
 उमला ठे कांडेरा पत्रों 440/210 दिनांक 24/9/2022 के
 कालोड में आज कोलवीर न्यायगौर 132 के भी डिपल
 कोलवीर के कर्मचारी खेतरा लडि के निर्माण हेतु
 वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन प्रवि उदकापरी
 प्रमाण पत्र हेतु वनाधिकार लमिरी से कर्मचारी लचिन आमीन
 भुविगा एवं जल प्ररी लमिरी की उपस्थिति में वें 66 का
 आनोगत रिमा जमा। वें 66 की आदेशात् भुविगा रिमा
 उपस्थित आमीन अपना-अपना हत-हतर कर लकड़ारी
 उदात्त रिमा।

वनाधिकार लमिरी कृष्ण मोनरी
 निदेश सुपरी

Amrit Kumar
 भुविगा हत-हतर
 21/2/22

- 1 सुचिता सुरीन
- 2 सुपरी डुंग डुंग
- 3 मरियम डुंग डुंग
- 4 आरविनुयस डुंग डुंग
- 5 मिश कल्लेरा
- 6 तेरला डुंग डुंग
- 7 किशोर डुंग डुंग
- 8 कमल डुंग डुंग
- 9 रमेश डुंग डुंग
- 10 जामिन केरेला
- 11 पुकासिपुलु डुंग डुंग
- 12 गिरसामाण देवा
- 13 जेबिया डुंग डुंग
- 14 निर्मल डुंग डुंग
- 15 Augusten dangdang
- 16 Albina dangdang
- 17 जेविता डुंग डुंग

- 18 निर्मल डुंगडुंग
19 Elias Surpin
20 पाल्मल केरकेडा
21 रोशन सोरंग
22 वरनावस लकड़ा
23 शानि डुंगडुंग
24 Bipenkerkeeta
25 रोजालिया डुंगडुंग
26 Gulshan kerketta
27 ललित डुंगडुंग
28 राशि डुंगडुंग
29 जसिन्ना डुंगडुंग
30 Anil kerketta
31 रीजा डुंगडुंग

सर्व समग्र ले निर्माण लिमा जमा कि 132 हे.मी.
द्विपथ कोलवीय ले कागडार वंचरण मार्ग निर्माण
हेतु जो भी मंगल कोट उसके मुख्या की क्षतिपूर्ति
देना होगा। आभीय के सह समग्र के साथ प्रभाव
को पारित किया गया, जिसमें आभीयों के किसी भी
प्रकार भी कागपति नहीं है।
सधनपवार के साथ ज्ञान सभी श्री. ललितवाही सगर
अध्यक्ष के द्वारा समाप्त भी गयी।

मुहम्मद के अभिवादन के फायदा आज की कीर्तिवादी
 प्रथम की वधि । सबसे पहले राजा की कर्मचारी के द्वारा
 बैठे के सम्बंध के सभी जगहों जगहों की वधिवादी

SI	Precedence	Area	Area	Area	P.F	Area
1	कोनवीर	129	157	1743	0.154596	
2	कोनवीर	129	157	1797	0.297038	

Total Area in Hectare

निवेदन
 21/12/22
 मुखिया
 ग्राम पंचायत कोनवीर
 बसिया (मुमला)

तृतीय प्रति : अनुमण्डल स्तरीय समिति के लिए निःशुल्क
उपाबंध-1

क्र. सं.

सामुदायिक अधिकार दावा प्ररूप

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

दावेदार (रों) का/ के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

2. ग्राम :

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड/अंचल :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी टी जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुनर्वास की सामुदायिक अवधियाँ, यदि कोई हो : यूनि का बिबरन निम्नलिखित है।
- (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें) खाली नं० प्लान नं० रकबा

ग्राम वन अधिकार समिति मुर्गा की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 10/02/2023.....की पूर्वाह्न...10 AM....बजे ग्राम वन अधिकार समिति मुर्गा प्रखण्ड कामडारा की बैठक ग्राम मुर्गा में आयुक्त की गई जिसमें 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा मुर्गा थाना न० 54 खेसरा संख्या- 295, 298 संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.531492(हे०) वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

1. उपस्थिति :-

2. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुर्गा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।
3. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुर्गा में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) (त) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुर्गा में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम की धारा -3 (2) के तहत प्रक्रिया कर ली गई है।
5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 132 KV D/C Kalebira- Kamdara Transmission line, M/s Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited के निर्माण हेतु मौजा मुर्गा थाना न० 54 खेसरा संख्या- 295,298 संरक्षित वन भूमि PF = 0.0 (हे०) एवं JJ = 0.531492 के वन भूमि अपयोजन में ग्राम वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम वन अधिकार समितिके सदस्यों का हस्ताक्षर

৬৫ ~~৭৭~~ শিউরি বৈষ্ণব

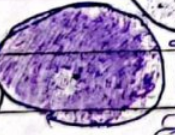
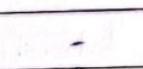
44

2011/11/24

आम सभा
आज दिनांक 10/08/2023 आम मुर्गा में अपर समाहरी
कुमल के आदेश पत्रांक 450 दिनांक:- 21/08/22
के आलोक में आम मुर्गा अन्तर्गत 1/32 के आ
दि पथ लोले बोरान कामडाका संचरण लाइन के निर्माण
हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि
(JJI Forest) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु वनाधिकार
समिति अध्यक्ष में बैठक का आयोजन किया
गया, बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया।
उपरिच्यत ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमती
प्रदान किया।

वनाधिकार समिति अध्यक्ष
✓ 5/08/23 गांधी

मुखिया हस्ताक्षर
✓ जोगेश्वर सिंह

- (1) किरौरी कल्ल
- (2) वासीर कल्ल
- (3) जोगेश्वर नायक
- (4) नारायण सिंह
- (5)  देवा निहाल
शंकर नायक
- (6) धरम नायक
- (7)  देवा निहाल
शंकर नायक
- (8)  दे. नि.
अमित लोपडा
- (9)  दे. नि.
अमित लोपडा
- (10)  दे. नि.
अमित लोपडा
- (11) इगोर नायक

- 11) ~~मंगलेश्वर देव~~
 - 12) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 13) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 14) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 15) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 16) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 17) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 18) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
 - 19) ~~मंगलेश्वरी देवी~~
- मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी
मंगलेश्वरी देवी

मंगलेश्वरी देवी

मंगलेश्वरी देवी

सुरिखा के अभिवादन के पश्चात् आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैंक के सम्बन्ध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

पं. शिरोमणि

क्रम सं०	गाँव	आना	खाना	एना	जंगल लाडी भूमी के	संरक्षित भूमी
1.	मुगा	54	60	295	0.246196	
2.	मुगा	54	60	298	0.285296	

सर्व सम्पत्ति से निर्वाय लिया गया किया। 132 के भी. द्वि पथ कोलेवीरा से कामशरा संचरण लाइन निर्माण हेतु जो जंगल और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति देय होगा ग्रामीणों के सह सम्पत्ति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, स्वयंसेवा के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभा अध्यक्ष के द्वारा समाप्त की गयी।

पं. शिरोमणि

श्री गोरामणि

VIII 07/23

कार्यालय अंचल अधिकारी, कामडारा।

e-mail ID - kamdaraco@gmail.com

पत्रांक 323/रा0

दिनांक 13/04/2023

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
कामडारा।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया।

विषय:-

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 K.V. द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकारी समिति के कार्यवाही व अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-960/रा0 दिनांक 08.07.2022

महाशय

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 K.V. द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का ग्राम वनाधिकारी समिति से अनापत्ति प्राप्त किया गया है। ग्राम वनाधिकार समिति के द्वारा 132 K.V. द्विपथ कोलेबिरा कामडारा संचरण लाईन हेतु ग्राम सभा के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है। अग्रेतर कारवाई हेतु बैठक की कार्यवाही पंजी का छायाप्रति का प्रेषण किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अंचल अधिकारी
कामडारा

अंचल	मौजा	थाना संख्या	प्लॉट संख्या	खाता संख्या	रकबा (हे०)		किस्म	अभ्युक्ति
					Area Hect.(PF)	Area Hect.(JJ)		
कामडारा	मुर्गा	54	295	60		0.246196	जंगल झाड़ी	
	मुर्गा	54	298	60		0.285296	जंगल झाड़ी	
	लोएंगा	55	937	107		0.257962	जंगल झाड़ी	
	कुल रकबा (हेक्टेयर)				0.00	0.789454		


 6/6/2013
 अंचल अधिकारी
 कामडारा

तृतीय प्रति : अनुमण्डल स्तरीय समिति के लिए निःशुल्क

क्र. सं.

उपाबंध-1

सामुदायिक अधिकार दावा प्ररूप

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम

स्वायत्त संस्था / स्वायत्त संस्था निगम लिमिटेड
द्वारा 132 KV बिपल कोलेबिरा - कामडाका लाइन देल

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

2. ग्राम :

लोरा

3. पंचायत :

रुम्ह

4. प्रखण्ड/अंचल :

कामडाका

5. जिला :

रुम्ह

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

- Scanned with OKEN Scanner

(आम आम सभा)

आज दिनांक 10/02/2023 ग्राम लोखंगा में अपर सभाद्वी गुमला के आदेश पत्रांक 450 दिनांक 26/08/2022 के अधीन में ग्राम लोखंगा मंतगत 132 ज.वी. विपक्ष लोखेवीर से वनाधिकार संचरण लाइन के निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमी (33/F02288) का अनापत्ती प्रमाणपत्र हेतु वनाधिकार समित अध्यक्ष, सचिव ग्राम-उद्यान एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया बैठक ग्राम उद्यान की अध्यक्षता में किया गया।

उपस्थित वृत्तीय अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहायक उद्यान किया।

वनाधिकार समिती अध्यक्ष लोखंगा

ग्राम उद्यान हस्ताक्षर

सोहन साहू
कुल्लु सिंघ
वनीता देवी
वरन्ती कुमारी
सन्तु सिंघ
मुल्ला सिंघ
माकुर देवी देवी

सोहन साहू
वनीता देवी
वरन्ती कुमारी

माकुर देवी देवी

महेश्वर

साहू

G. N. Kulkarni
वृत्त नारायण

Roshan - Kullu
Anand Kullu

माकुर देवी

Sandip Chauri

Mandir Kullu

नारिकेल महली

भाशा देवी

सविता कुमारी

मंजु देवी

वेरनाहित केरकेड़ा

मुमाना कुल

अलविसिया कुल

मीना देवी

सोमरा केरकेड़ा

ग्राम प्रधान के अभिवादन के पश्चात आज की कार्यवाही
प्रारम्भ की गयी गई सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग के द्वारा
वैठक के सम्बन्ध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया

क्र.सं.	थाना	खता	जला	जंगल आउट	संश्लेषित भूमी
	सं०	सं०	सं०	भूमी हे०	(हे०)
1-	लोशंगा	55	107 107	937	0.257962
2-	"				
				कुल क्षेत्रफल	0.257962

सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि 132 के.वी. द्विपथ
कोलेबरा से नामडाश संचरण लाइन निर्माण हेतु स्वाम जो
जंगल आउट उसके नुलशान का दस्तावेज देय होगा। ग्रामीणों के
सह सम्मति के साथ पुस्तक को पारित किया गया।
जिसमें ग्रामीणों को जिसी भी जलाशय की सुफती नहीं है।

अद्यन्यवाद के साथ आग सभा की कार्यवाही सभा अद्ययस के
द्वारा समाप्त की गयी

skully
10-2-2023
सोवना, कानका गुप्ता

ग्राम सभा

आज दिनांक 26/05/2023, ग्राम केलगा में अपर सुमाहरी
गुमला के आदेश पत्रांक 1440, 24.05.22 के आलोक
में ग्राम केलगा अन्तर्गत 132 के.मी. डि. वृथ
कोलेवीरा से कामडारा संचरण लाईन के निर्माण हेतु
बनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत बन भूमि (JJI Fixure)
के अनापति प्रमाण पत्र हेतु बनाधिकार
समिती अध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण मुखिया एवं जनप्रतिनिधि,
की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया,
बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया,
उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमती
प्रदान किया।
बनाधिकार समिती अध्यक्ष केलगा मुखिया हस्ताक्षर

सचिव के
मुखिया

ग्राम पंचायत कलिया
बसिया (गुमला)

प्रतिनिधि के

पुनम मिश्र

मुखिया
केलगा

परी कल्लू

विरसी कल्लू

Sanjay Kahan

तारी देवी
कर्म करण
पंचम अक्षर

Kaumar Kullu
Narayan Sahu

उलोचन मित्र

Laksh Kullu

पतरम वेक
पतरणीया वेक

इमलीया वेक
कुस्मिता मित्र

गुस्फिया के अधिवादन के पञ्चायत आज कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैंक के सम्बन्ध में गरीब ग्रामीण जनता को बताया गया।

क्र. No	Village Name	Thana No	Khalo No	Plot No	JJ land (Hect)	PP land (Hect)
1	केल्गा	141	159	2120	0.167991	
2	केल्गा	141	159	1794	0.117517	

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। कि 132 के.मी. द्विपथ संचरण बार्डन निर्माण हेतु जो भी बांका और उसके की हटिपूर्ण देय होगा। ग्रामीण के सह सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया जिसमें ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अधिन्याय के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभा की अध्यक्ष के द्वारा समाप्त की गयी।
M.B.

गुस्फिया के
मुखिया
ग्राम पंचायत कलिंग
बसिया (मुमला)
१९.११.२०२३

तृतीय प्रति : अनुमण्डल स्तरीय समिति के लिए निःशुल्क

क्र. सं.

उपाबंध-1

सामुदायिक अधिकार दावा प्ररूप

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008

का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं 132 के 0 वी 0 डिपथ कोलेबिरा -

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं कामडारा संकण लाइन हेड /

2. ग्राम :

केलगा

3. पंचायत :

केलगा

4. प्रखण्ड/अंचल :

बलिया

5. जिला :

गुमला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : 132 के 0 वी 0 डिपथ कोलेबिरा - (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें) कामडारा संकण लाइन निर्माण हेड /
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), x

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो : x

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और x

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें) x

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक शुद्धि की वीरली मि. नदी :-
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ,
यदि कोई हो : उलाह सं० खाता सं० रकबा (ह०)
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक 2120 159 0.167 991
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो : 1494 159 0.11 3517
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो : _____
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य : _____
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना : सारखण्ड उजी संस्करण मि० लि० द्वारा 132 ई० की० मि० मि०
कोटबारा - कामगार संस्करण लाइन के क्रम में ग्राम कोलगा के
अन्तर्गत पड़ने वाले वनधर्म एवं जंगल सारी शुद्धि में लाइन
विधान में कोई आपत्ति नहीं है, ग्राम के बनाविहार सारि
संबंधित संस्थान के बनाविहार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
प्रवा की शुद्धि करती है।

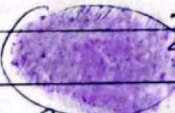
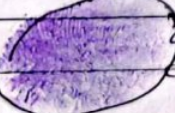
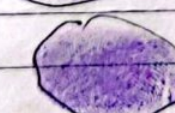
दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

सरियम बेन्द
मुखिया
ग्राम पंचायत कलिया
बसिया (गुमला)

आम. सभा

आज दिनांक 12-11-2022 ग्राम बलिया में अपर सभसभा गुलाब के आदेश पत्रांक 1440 दिनांक 24.09.22 के आलोक में बसीगा में आम बसिया - अन्तर्गत 132 के.मी. द्वि पक्ष कौलेबीरा कामजारा संचरण लाइन के निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि (उपस्थित) के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु वनाधिकार समिति अध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण मुखिया एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया। उपस्थिति ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान किया। वनाधिकार समिति अध्यक्ष बलिया मुखिया हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान बलिया
निरुपम मुखिया

- 1) संधिया गुलाब
- 2) पाकी मुण्डा
- 3) गिरि मुण्डा
- 4) गैर गिरि देवी
- 5) बालमकुन्द मुण्डा
- 6)  देवी
- 7)  सुर्खा देवी
- 8) किरन मुण्डा
- 9)  देवी
- 10)  देवी
- 11)  देवी
- 12)  देवी

देवी
निरुपम मुखिया
ग्राम प्रधान
बलिया।

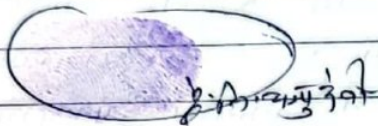
ग्रामा, देवी
शानिगारा देवी
समीत मुण्डा

પુત્રી મુઠા
નિરુત્તા લેરેલ દુઃ

પાણી લેવા

નકુલ મુઠા

ફાલ મળે
સપતા મળે

સાચી જાણ

સાચી જાણ

સાચી જાણ

સુનીતા દસી

સંદીપ મગત

मुखिया के आतिनाथ के पश्चात आज भी कार्य
प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी
द्वारा बैंक के सम्बन्ध में सभी ग्रामीणों जनता
को बताया गया।

S.No	Village	Thana	Khata	Plot No	JLand (Hect)	PFLand (Hect)
(1)	बस्तीया	50	249	327	0.299716	
(2)	बस्तीया	50	249	1851		0.0368367

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि देवी. द्वि पय
कोलेवीरा से कागजरा संचरण लाइन निर्माण हेतु जो भी
जंगल और उसके नुकसान को 'कतिपुर्नो' देम होगा।
ग्रामीण के सह सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया
गया; जिसमें 'ग्रामीणों' को किली में प्रकार की आपत्ति
नहीं है,

सह-न्याय के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही होगी
अध्यक्ष के द्वारा स्थापित की गई।

विश्वकर्मा गुन्डा
बसिया (गुमला)

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं
132 50 की कोलेबीरा - कामंडरा संचरण

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

2. ग्राम :

वरिचा

3. पंचायत :

वरिचा

4. प्रखण्ड/अंचल :

वरिचा

5. जिला :

शुभला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : 132 50 की कोलेबीरा - कामंडरा
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो : संचरण लार्ने सिमि हैद
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),
यदि कोई हो :
(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :
(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पी टी सी (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि एवं समुदायों के लिए प्राकृतिक
 वाता और पूर्ववास की सामुदायिक अधिकारों,
 यदि कोई हो :
 (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

कुल संख्या 327 स्वातंत्र्य संख्या 249 रकबा (है.) 0.299716

5. जैव विविधता तक वैज्ञानिक संपदा और पारंपरिक
 ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
 (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

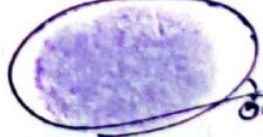
कुल संख्या 1351 स्वातंत्र्य संख्या 249 रकबा (है.) 0.0368367

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :
 (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य :
 (नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : इस प्रकार की सूचना निम्नलिखित द्वारा 132 के 8 की संविधान
 कालिका - कामगार संघर्ष लाइन की क्रम में प्राप्त किया गया है कि
 पाने वाले वनशुक्ति एवं जंगल आगरी शुक्ति में लक्ष्य विज्ञान में कोई
 आपत्ति नहीं है। प्राप्त के वनाधिकार अधिनियम काफ़ी संशोधित
 संस्थान के वनाधिकार अधिनियम 2005 के संशोधित संशोधित
 करता है।

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

 डी. गि. 0
 विरवर्मा सुगा
 ग्राम प्रधान बरिया
 विरवर्मा सुगा

ग्राम सभा

आज दिनांक 19-02-23 ग्राम कि-दीरुके में अपर समाहरी
अमूल के आदेश पत्रांक 1440, दि० 24-09-2022 के
आलोक में ग्राम कि-दीरुके, अन्तर्गत 132 के. श्री. विपथ
कोलेपीरा से कामगार संचरण लाइन के निर्माण हेतु
बनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि
(JSA Forest) के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बनाधिकार
समिती अध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण मुखिया एवं
जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया,
बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया।
सु उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान
किया।

बनाधिकार समिती अध्यक्ष

मुखिया हस्ताक्षर

मुचुंग पहात
ग्राम प्रधान
निदिशंका (रिजि.)

(1) Ashraf Khan

(2) Ashraf Khan

(3) Anand Khan

(4) Altob Khan

(5) Ashraf Khan

(6) Ashraf Khan

(7) Ashraf Khan

(8) Ashraf Khan

(9) Ashraf Khan

(10) Ashraf Khan

(11) Ashraf Khan

(12) Jindos ka

(13) गुजराती खण्डिका -

14 ऐगो खण्डिका -

15 शंकर खण्डिका -

16 संजय खण्डिका -

17 John Khan

मुखिया के अभिवादन के पश्चात आज की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैठक के सम्बंध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

Sr. No.	Village Name	Thana No.	Khata No.	Plot No.	SJ Land (Hect)	PF Land (Hect)
1	किन्दीरकेला	136	127	1289	0.192843	
2	"	136	127	1119	0.0913773	
3	"	136	127	1153	0.0823315	
4	"	136	113	1233	0.186544	

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 192 के.भी. द्वि पथ कोलेवीरा से कामगार संचरण लाईन निर्माण हेतु जो भी जंगल और उसके मुकसान की क्षतिपूर्ति देय होगा, ग्रामीणों के सुद सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं है। सुधन्यवाद के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही सभा अध्यक्ष के द्वारा समाप्त की गयी।

मुचुंग पटेल
ग्राम प्रधान
किन्दीरकेला (पिन्का)

प्रति : दावेदार के लिए

निःशुल्क
उपाबंध-1

क्र. सं.

सामुदायिक अधिकार दावा प्ररूप

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,
प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम
(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं 132 के० वी० डिप्य कोलबीरा -
कामडारा संचरण लाइन हेल्
(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं
2. ग्राम :
किंकारवेल
3. पंचायत :
.....
4. प्रखण्ड/अंचल :
वासिया
5. जिला :
मुमल
प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-
 1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : 132 के० वी० डिप्य कोलबीरा -
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें) कामडारा संचरण लाइन निर्माण हेल्
 2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)
 3. सामुदायिक अधिकार
(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),
यदि कोई हो :
(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :
(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और
पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,
(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ, भूमि की वीवरण
यदि कोई हो: गिम्नवत है:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
- | प्लॉट सं० | खाल सं० | रकबा (है०) |
|-----------|---------|------------|
| 1233 | 113 | 0.186544 |
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
- | | | |
|------|-----|-----------|
| 1153 | 127 | 0.0823315 |
| 1289 | 127 | 0.192843 |
| 1119 | 127 | 0.093773 |
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य:
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना: सारखण्डा भाग संन्करग सि० लि० के द्वारा 152 क० बी०
द्विपथ कौलबीरा - कायारा संन्कर लारिन के ग्राम में ग्राम
किन्दीरकेला के झरना पर पड़े गले वन भूमि संकलित
झाड़ी भूमि में लाइन विधान, कोई आपास नहीं है, ग्राम के
वन अधिकार समिति संबंधित संस्थान के बनायिका अधिनियम
२००५ के झरना पर शाही पुष्टि करती है।

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

गुन्चुंग पद्मान
ग्राम प्रधान
किन्दीरकेला (बोरेंग)

प्रथम प्रति : दावेदार के लिए

निःशुल्क
उपाबंध-1

क्र. सं.

सामुदायिक अधिकार दावा प्ररूप

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008

का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (रों) का/ के नाम

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/ नहीं

2. ग्राम :

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड/अंचल :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो : (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषिपूर्ण समुदायों के लिए प्राकृतिक
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ, शुद्धि की विलोपनी नीतिगत है
यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

प्लॉट नं० 57 श्वाता भं० 230 रकबा (है०) 0.509665

5. जैव विविधता तक वैदिक संपदा और पारंपरिक
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना : इस एरवण्ड डी संचरण मि० लि० द्वारा 131 फे० की व डिपथ
कोलबीरा - कमपारा संचरण लाइन के क्रम में ग्राम अरैया के अन्तर्गत
पड़ने वाले वनशुक्ति एवं जंगलक्षेत्री शुक्ति में वनशुक्ति विधान में
कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम के वनाधिकार अधिकारि संवर्चित संस्थान
के वनाधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रा की प्राप्ति करती है।

कुलिया पटान
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा अरैया
प्रखण्ड-बसिया (मुमला)

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम-आरया प०- आरया
बसिया मुमला

આજ ધિતરિક 12/11/2022 નો શામન-11.00વેળા યામ આરેવા
મેં અપર લખાવેલી ગુમલા કે આરેવા પત્રોક-1440 ધિતરિક
24/9/22 કે કાલોગ મે આક આરેવા અન્નરિક 132 કે.મી
દિપથ કોલેનિત હે આકડારા લેચરણ લરિત કે નિર્માણ
દેડ વગાદિમા અધિનિમન 2006 કે લદલ વગાદિ
(ગુ. નિમન) સમીતી અદ્યત્તસલિત ગ્રામીણ ભુલિપા
પિંજર પ્રતિનિધી ની અપીચની ની અપ મે વેલક. ઠ
કામોગત કિના. ગામ / વેલક ની અદ્યત્તસલિત મે
ભુલિપા અપીચર ગ્રામીણ અપત. અપત દલ્લાદાર
કર. સદમતિ પ્રદાન કિમા

① મસીદ વેલક ના ડુંગડું

② દિવા મોળ
③ મહાત્મા ગાંધી હોલ

④ કમળા ડુંગડું

⑤ સાની ડુંગડું

⑥ રોહિત નિલ્લે

⑦ રાયમન દેડ

⑧ નિર્મલા દેડ

⑨ રુનવી દેડ

⑩ સોમારી ડુંગડું

⑪ વિપીન દેડ

⑫ મ્હારીયા દેડ

⑬ મોનીમા દેડ

⑭ સુનીતા દેડ

⑮ લીલીન દેડ

⑯ ઘુરન પદાત ડુંગડું

⑰ મારસોલ દેડ

⑱ યામ ડુંગડું

⑳ રવિ સાડ

કુલિયા પદાત
ગામ પ્રધાન
ગામ સમા કાર્યા
વસન્દ-વસિયા (મુ. મા)

અધિકાર
વન અધિકાર સમિતિ
ગામ-જારવા મુ. જારવા
વસિયા ગુમલા

(19) जेतिमार कैर केडा

(20) Asint Kujur

(21) गनपत साहु

(22) कोया साहु

(23) भोला चीर बहारिक

(24) पारखु हुंग हुंग

(25) रन्बु गोप

(26) चमारलाहरा

खुनिया पटान

ग्राम प्रधान

ग्राम सेवा केंद्र

प्रखण्ड-बलिया (गु. ग.)

लकड़ा

जन अधिकार समिति
राज-आस्था पत्र-आस्था
बलिया गुमना

मुखिया के कनिवाज के पश्चात आग की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा वेंक के सम्बंध में सभी ग्रामीणों जनता को बताया गया।

Sr No	Village	Thana	Khatq No	Plot No	33 Land Hect	PF Land Hect
01	करेधा	133	230	57	0.507665	

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 132 के.मी. विपक्ष कोलेवीरा से कागडारा संचरण लाइन निर्माण हेतु जो भी जंगल और उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति देना होगा। ग्रामीणों के सह सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया जिससे ग्रामीणों का किसी प्रकार की आपत्ति नहीं सह-प्रवाद के साथ भोग लगा की कार्यवाही लगा अदालत के द्वारा समाप्त की गयी।

(Signature)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
बाम-आरवा प0- आरवा
बसिया गुमला

(Signature)

ग्राम-आरवा
बसिया गुमला

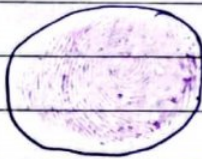
ग्राम सभा

आज दिनांक 11-12-2024 ग्राम सुदूरबुला में अपर
समाहती गुमला के आदेश पत्रांक 1440, 24/09/24
के आलोक में ग्राम सुदूरबुला अन्तर्गत
132 के. भी. वि. पथ कालेवीरा से कामगारा रंचरण लाइन के
निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत
वन भूमि (JIT Forest) के अनापति प्रमाण पत्र हेतु
वनाधिकार समिती अध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण मुखिया
एवं जनप्रतिनिधी की उपस्थिती में बैठक का आयोजन
किया गया, बैठक की अध्यक्षता मुखिया ने किया,
उपस्थित ग्रामीण अपना-अपना हस्ताक्षर कर सहमती
प्रदान किया।
वनाधिकार समिती अध्यक्ष सुदूरबुला मुखिया हस्ताक्षर

कलमा खड़िया

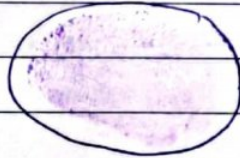
① Durga Mahan.

②



ठे. नि.
सुदूर खड़िया

③



ठे. नि.
सुदूर खड़िया

④

शान्ती केरकेडा

⑤

तारी इन्दवार

⑥

फुलमती केरकेडा

ग्राम सुदूरबुला
वनाधिकार समिती
सुदूरबुला

- Page No.
- (7) દોલિયા ડોંગ
 - (8) પુનો દેવી
 - (9) લુધન દેવી
 - (10) ત્રીજન દેવી
 - (11) સુર્ય દેવી
 - (12) જાપાન ચરિત્ર
 - (13) રાજ્ય સરિય
 - (14) *Sunil Kumar Indar*
પુની દેવી
 - (15) તારી દેવી
 - (16) સુર્ય દેવી
 - (17) રોવની દેવી
 - (18) આલુત સન્દવાર
 - (19) શાનો મહા
 - (20) કાનુકા કિડા
 - (21) કિરુચ સન્દવાર
 - (22) મરિયા સન્દવાર

मुखिया के अधिपदन के पश्चात आज की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के द्वारा बैंक के सम्बन्ध में सभी ग्रामीण जनता को बताया गया।

Sr. No	Village Name	Thano No	KHATA No	PLOT No	JJ land (Hect)	PF land (Hect)
1	सुंदरपुरा	51	22	143		0.348105

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 132 के.मी. द्विपथ कोलेक्टर से कमडारा संचरण लाइन निर्माण हेतु, जो भी जंगल और उसके गुरुत्वांक क्षतिपूर्ति देय होगा, ग्रामीणों के सह सम्मति के साथ प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सहभाषक के साथ ग्राम की कार्यवाही तथा अधिपद के द्वारा समाप्त की गयी।

करमा (वडिया)
अध्यक्ष
अनन्तराम सुमि
सुंदरपुरा

भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय,

प्ररूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008
का नियम 11 (1) (क) और 11 (4) देखें

1. दावेदार (सें) का/ के नाम

वसंतरवण्ड उर्जी संरक्षण निगम के द्वारा

(क) एफ.डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हैं/ नहीं

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हैं/ नहीं

132 के.वी.0 डिपथ कोलेबरी -
कामगारा संरक्षण लाइन है

2. ग्राम :

मुठरखुला

3. पंचायत :

4. प्रखण्ड/अंचल :

बशिपा

5. जिला :

अमला

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो : 132 के.वी.0 डिपथ कोलेबरी -
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो : कामगारा संरक्षण लाइन
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय),

यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) देखें)

4. पी टी जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक भूमि की वीवरणी निम्न बटु
वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ,
यदि कोई हो: ज्वाट संव रनाल संव रफवा (रै०)
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तक वैदिक संपदा और पारंपरिक 143 22 0.348105
ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो: _____
(अधिनियम की धारा 3 (1) (उ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य: _____
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना: समरबुड 300 संनरन नलगलरुदर 132 के वीर
सिपथ को लेबिरा - कप्रगर संनरन लरिन के कुम में पदमल
ग्राम सुडुर बुला के अनरगत पडने वले वनभूति संव जंगल
साडी भूमि में लरिन विद्वान में कौर सापति नही है, ग्राम के
वनाधिकार समिति संबंधित संस्थान के वनाधिकार अधिनियम 2002 के
अनरगत दावा की पूर्ति काली है

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

करमा रुडिया